

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-06/2018/18/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 सुरेन्द्र प्रकाश जौहारी, टी0बी0 चेस्ट (वरि0क्र0-10984, ले0-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2482/चि0-3-17-टी0-1(56)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, बांदा किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-06/2018/18(1)/चि0-3-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद/चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बांदा ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फतेहपुर/ बांदा ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बांदा ) ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-07/2018/19/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप


तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डायो त्रित्य कुमार सक्सेना, निश्चेतक (वरि0क्र0-11243, ले0-3) जिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर सम्प्रति जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्धनगर का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2482/चि0-3-17-टी0-1(56)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, सम्भल किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-07/2018/19(1)/चि0-3-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली/ मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद/मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर/सम्भल/गौतमबुद्धनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर/सम्भल/गौतमबुद्धनगर।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर/सम्भल/गौतमबुद्धनगर।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एन0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-08/2018/20/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप


तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डायरेक्टर रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, बाल रोग विशेषज्ञ (वरिष्ठ-10953क, ले-2) जिला चिकित्सालय, देवरिया का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2482/चि0-3-17-टी0-1(56)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, गाजीपुर किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नरेंद्र सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-08/2018/20(1)/चि0-3-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देवरिया/गाजीपुर ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया/गाजीपुर ।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देवरिया/गाजीपुर ) ।
7. निजी सचिव, माओ मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-09/2018/21/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप


तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 प्रदीप कुमार मिश्रा, बाल रोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11453, ले0-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2482/चि0-3-17-टी0-1(56)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, फैजाबाद किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-09/2018/21(1)/चि0-3-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद/लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फैजाबाद ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/ फैजाबाद।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फैजाबाद ) ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-10/2018/22/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 अनूप कुमार श्रीवास्तव, रेडियोलॉजिस्ट (वरि0क्र0-11859क, ले0-2) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2483/चि0-3-17-टी0-1(54)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, बलरामपुर किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-10/2018/22(1)/चि0-3-18,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/ देवीपाटन मण्डल, गोण्डा ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बलरामपुर ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/बलरामपुर ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बलरामपुर ) ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-11/2018/23/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप


तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 राज बहादुर यादव, आर्थोपैडिक (वरि0क्र0-11583,ले0-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर सम्प्रति अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2483/चि0-3-17-टी0-1(54)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय, चित्रकूट किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-11/2018/23(1)/चि0-3-18.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर/चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/वाराणसी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर/वाराणसी ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, चित्रकूट ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मिर्जापुर/चित्रकूट/वाराणसी ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)

अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-12/2018/24/चि0-3-17- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 शशिकान्त मिश्रा, पैथालॉजिस्ट (वरि0क्र0-11633क, ले0-3) यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2483/चि0-3-17-टी0-1(54)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, औरैया किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-12/2018/24(1)/चि0-3-18.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर ।
4. निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, औरैया ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर / औरैया ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, औरैया ) ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(ज0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-13/2018/25/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप


तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 निशाकान्त सिंह, स्त्रीरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11617क1, ले0-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2482/चि0-3-17-टी0-1(56)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-13/2018/25(1)/चि0-3-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच / श्रावस्ती ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती ) ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-14/2018/26/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017

लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय जाप

तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डायरेक्टर अमर नारायण राय, (वरि0क्र0-10569, ले0-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर का कार्यालय जाप संख्या-3423ए/सेक-2-पांच-17-7(64)/2017, दिनांक 16-08-2017 (क्रमांक-1) द्वारा जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर भदोही किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नरेंद्र सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-14/2018/26(1)/चि0-3-18.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद / मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर भदोही (संतरविदास नगर) ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुल्तानपुर / भदोही (संतरविदास नगर) ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर भदोही (संतरविदास नगर) ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)

अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-15/2018/27/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय जाप


तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 योगेन्द्र कुमार शर्मा, निश्चेतक (वरि0क्र0-10869क, ले0-3) जिला चिकित्सालय, फैजाबाद का कार्यालय जाप संख्या-3417/सेक-2-पांच-17-4(37)/2017, दिनांक 16-08-2017 (क्रमांक-15) द्वारा मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-15/2018/27(1)/चि0-3-18.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद/ अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फैजाबाद
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद/अलीगढ़।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फैजाबाद/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़) ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-16/2018/28/चि0-3-18- टी0-1(56)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप


तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डा0 चर्तुभुज, रेडियोलॉजिस्ट (वरि0क्र0-11896, ले0-2) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी का कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/2483/चि0-3-17-टी0-1(54)/2017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, बिजनौर किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

नरेंद्र सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-16/2018/28(1)/चि0-3-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल, झांसी / मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बिजनौर ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी / बिजनौर ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बिजनौर ) ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।